20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

21

समक्षः- न्यायालय- श्रीमान राजस्व मंडल ﴾ केम्प सागर﴿ ग्वालियर म.प्र.

84

नि. / 2978 / अ / 15

अध्यक्ष संत गरीबदास शिर्नी प्रसाद समिति शाहपुर तह. व जिला-सागर म.प्र.

:=== पुनरीक्षणकर्ता

//विरूद्ध//

1 महेश कुमार तिवारी वल्द गनेश प्रसाद तिवारी, निवासी- ग्राम रामपुरा वार्ड सागरतह. व जिला-सागर द्वारा::﴾﴿

2 महीपाल सिंह वल्द रामचरण सिंह ठाकुर,

3 करतार सिंह वल्द गोविंद सिंह ठाकुर,

निवासी- क्र. 2 एवं 3 निवासी- स्टेशन गनेशगंज शाहपुर, तह. व जिला-सागर﴾म0प्र0﴿

:==== उत्तरदातागण

पु. क्र.

प्रस्तुति दिनांक: 26/8/15

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा- 50 म.प्र.भू.रा.संहिता सहपठित धारा 32 एवं 117 ﴾89﴿ म.प्र. भू.रा.सं.

मान. राजस्व मंडल के समक्ष यह आवेदन-पत्र अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सर्किल परसोरियातह. सागर जिला-सागर, म.प्र. के राजस्व प्रकरण 69 अ/ 6-अ वर्ष2011-12 आदेश दिनांक- 19/05/2015 मेंपारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त दिनांक को आदेश पूर्णत विधि विरूद्ध तरीके से पारित किए जाने से यह रिवीजन विधि अनुसार निराकरण किए जाने बावत सादर प्रस्तुत है ।

आवेदक पुनरीक्षणकर्ता अधोलिखित अनुसारप्रार्थी:-

1. यह कि उत्तरदातागण के द्वारा मान. नायब तहसीलदार

आज दिनांक 26/8/15 को श्री .... अधि. द्वारा प्रस्तुत 26/8/15

Rajendra 26/8/15

84

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2978-दो/2015 जिला सागर

संत गरीब दास शिक्षा प्रसाद समिति विरूद्ध महेश कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार तहसील सागर के प्रकरण क्रमांक 69अ/6-अ वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालयं में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर के जैन) 3.1.19
सदस्य